

उत्तर प्रदेश टाउनशपि नीति-2023

चर्चा में क्यों?

14 मार्च, 2023 को मीडिया से मल्लि जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में लोगों की आवासीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिये कई नयियों में संशोधन करने जा रही है। इसके लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशपि नीति-2023 का प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रमुख बंदि

- वदिति है कप्रदेश में हाईटेक टाउनशपि नीतिसिमाप्त हो चुकी है। इंटीग्रेटेड नीतिमें 500 एकड़ और हाईटेक में 1500 एकड़ की अनविरयता थी।
- प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशपि नीति-2023 में दो लाख से कम आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 5 एकड़ ज़मीन और अन्य शहरों में 25 एकड़ ज़मीन पर कालोनियाँ बसाने की अनुमति दी जाएगी। कालोनियों तक जाने के लिये 24 मीटर और अंदर 12 मीटर सड़क की अनविरयता होगी।
- इस नीति के अंतर्गत ग्राम समाज, सीलिंग या फरि अन्य वभिगों की ज़मीन लेकर दूसरे स्थान पर छोड़ने की सुवधि मल्लिगी। 50 एकड़ से अधिक क़षेत्रफल की परयोजनाएँ कृषि भूमि और 50 एकड़ तक मास्टर प्लान में आवासीय भूउपयोग पर कालोनी बसाने का लाइसेंस मल्लिगी।
- ग्राम समाज व अन्य शासकीय भूमि को 60 दनिों में नयिमति कयिा जाएगा। राजस्व संहति के प्रावधानों के अधीन 5 एकड़ से अधिक भूमि लेने की छूट होगी।
- 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 50 एकड़ में बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बनाया जाएगा। शहरों में स्पोर्ट्स सटि, फलिंम सटि, आईटी सटि, मेडसिटी, एजुकेशनल हब बनेगा। सभी प्रमुख भवनों की डिजाइन को उच्चकोर्ट का रखा जाएगा तथा सांस्कृतिक और ऐतहिसकिक धरोहर को शहर के वकिस से जोड़ा जाएगा।
- नजि क़षेत्रों में बसने वाली टाउनशपि में सेक्टर वशिष यानी पारटवार कंपलीशन सर्टफिकेट जारी करने की व्यवस्था होगी, जसिके पास सेक्टर का प्रमाण पत्र होगा उसका नक़शा ही पास कयिा जाएगा। अगर कंपलीशन प्रमाण पत्र नहीं है तो नक़शा पास नहीं कयिा जाएगा। इसका मकसद अवैध नरिमाण पर रोक लगाना है।
- नजि क़षेत्र में टाउनशपि बसाने का लाइसेंस लेने के लिये टर्नओवर का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक एक एकड़ के लिये 75 लाख रुपए टर्नओवर होना चाहयि। पहले यह 50 लाख रुपए था।
- टाउनशपि का लीड सदस्य भी अब वकिस प्राधकिरण और आवास वकिस परषिद स्तर पर नहीं बदला जाएगा। इसके लिये प्रमुख सचवि आवास की अधयक़षता में कमेटी होगी। लाइसेंस शुल्क भी अब प्रतिएकड़ 50 हजार से दो लाख रुपए और जीएसटी देना होगा। पहले यह डेढ़ लाख रुपए ही हुआ करता था। लाइसेंस क़षेत्रफल की सीमा में अधकितम 20 प्रतशित परविरतन अनुमन्य होगा।
- आवंटयिों के हतियों को ध्यान में रखते हुए योजना के कुल क़षेत्रफल की 75 फीसदी भूमि होने पर अनुबंध कयिा जाएगा। पहले यह 60 फीसदी ही था। अपरहार्य परस्थितियिों में रोड नेटवर्क की 20 फीसदी ज़मीन को अर्जन करने की अनुमति दी जाएगी।
- नई नीतिकी प्रमुख बातें-
 - एससी/एसटी की ज़मीन लेने पर डीएम की अनुमति ज़रूरी नहीं।
 - चंडीगढ़ की तरज पर क़षैतजि वकिस को बढ़ावा दयिा जाएगा।
 - पैदल चलने वालों के लिये परयाप्त फ़ूटपाथ यानी पटरी होगी।
 - उबड़-खाबड़ या अनुपयोगी भूमि को ग्रीन बेल्ट बनाया जाएगा।
 - पार्कों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व पुलसि स्टेशन के पास पार्कगि सुवधि।
 - पार्कों व हरति पट्टयिों में बागवानी के लिये ट्रीटेड जल का उपयोग।
 - सॉलडि वेस्ट डिसिपोजल के संबंध में नेट जीरो वेस्ट का पालन ज़रूरी।